

एन्टी करप्शन ब्यूरो, छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक:-पुअ/एसीबी/2140/2015 रायपुर,
प्रति,

दिनांक :-04.04.2015

क्षेत्रीय महाप्रबंधक,
भारतीय खाद्य निगम
मोवा, रायपुर, छ.ग.

विषय :- चावल के सैम्पलों की गुणवत्ता का परीक्षण कर रिपोर्ट देने बाबत।
संदर्भ :- अपराध क्रमांक 09/2015-धारा:-13(2),13(1)डी, पी.सी.एक्ट 1988, 109, 120
बी भा0द0वि0 आर्थिक अपराध ब्यूरो।

---0---

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित अपराध की विवेचना के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा कांकेर, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, कबीरधाम रायगढ़ तथा सूरजपुर जिलों के विभिन्न केन्द्रों में संग्रहित चावलों के सैम्पल दिनांक 25.03.2014 से 01.04.2014 की अवधि में संकलित किये गये। संकलित चावल के पैकेटों में निम्नानुसार कोडिंग की गयी :-

1. NA-56 से NA-99 कुल 44 पैकेट
2. KK-01 से ~~KK~~-18 कुल 18 पैकेट
3. LP-01 से LP-44 कुल 44 पैकेट
4. AS-59 से AS-65 कुल 07 पैकेट
5. PX-10 से PX-42 कुल 33 पैकेट
6. CS-01 से CS-106 कुल 106 पैकेट

कुल 252 नग सैम्पल पृथक-पृथक सेन्टरों से प्राप्त किये गये हैं। चावल के उक्त सैम्पलों की गुणवत्ता सम्बंधी जांच निर्धारित मानकों के परिप्रेक्ष्य में कराकर चावल की रिपोर्ट शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। साथ ही साक्ष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण अन्य कोई तथ्य प्रकाश में आने पर इस सम्बंध में भी रिपोर्ट प्रदान करने का कष्ट करें।

पुलिस अधीक्षक
एन्टी करप्शन ब्यूरो
छत्तीसगढ़, रायपुर
दिनांक :-04.04.2015

क्रमांक:-पुअ/एसीबी/2140-4/2015 रायपुर,
प्रतिलिपि :- निरीक्षक श्री संजय देवस्थले को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

पुलिस अधीक्षक
एन्टी करप्शन ब्यूरो
छत्तीसगढ़, रायपुर

o/c

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू/ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)